प्रधानमंत्री मोदी बनाम सामाजिक न्याय मंत्री गहलोत

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

अफ़लातून की बात एक बार फिर सही सिद्ध हुई है। उसका कहना था कि राजनीति सत्ता प्राप्त करने और फिर उसे बनाए रखने की एक कला है। मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग के केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द्र गहलोत ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में यदि हिन्दू, सिख व बौद्धों के अलावा अन्य धर्मों से सम्बन्धित समुदायों को शामिल किया जाएगा तो धर्मान्तरण का सिलसिला श्रू हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति के लिए डा॰ सर इक़बाल ने कहा था कि अगर राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति चंगेज़ी बन जाती है। मंत्री महोदय का उपरोक्त बयान इस परिपेक्ष में आया है कि मुसलमान व ईसाई समुदाय तथा उनके शुभ चिन्तक लम्बे समय से यह मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति सम्बन्धित 1950 के राष्ट्रपति के आदेश में से पैराग्राफ़ 3 को निकालकर अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्म की शर्त से मुक्त किया जाए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं भी लगी हुई हैं। मंत्री जी के बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं का विरोध करेगी। इन याचिकाओं पर सुनवाई पांच साल से लम्बित है क्योंकि यूपीए सरकार इन याचिकाओं पर जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने को टालती रही। हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी इस बात से सहमति व्यक्त कर दी है कि अन्य धर्मों के दलितों को भी अनुसूचित जाति की सूचि में शामिल किया जाए। आयोग ने यह शर्त लगाई है कि अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ाए जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे की सीमा बढ़ाई जाए ताकि पहले से अनुसूचित मानी गयी जातियों के आरक्षण में कमी न आए।

धार्मिक एंव भाषाई अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग जिसे बाद में आमतौर से जिस्टस मिश्रा आयोग कहा जाने लगा, ने 2007 में अपनी रिपोर्ट में यह ज़ोरदार सिफ़ारिश की है कि "अनुसूचित जाित अध्यादेश 1950 के पैराग्राफ़ 3 ने - जिस ने प्रारम्भ में अनुसूचित जाित के दायरे को हिन्दुओं तक सीिमत रखा था तथा बाद में इसे सिखों व बौद्धों तक विस्तारित किया- मुसलमानों, ईसाइयों, पार्सियों तथा जैन धर्म के अनुयािययों को इसके लाभ से वंचित कर रखा है। अतः इस अध्यादेश के पैरा 3 को पूरी तरह निकाल कर अनुसूचित जाित की पात्रता को धर्मनिर्पक्ष बना दिया जाए तथा इसका लाभ सभी समुदायों के दिलतों को पहुंचाया जाए।"।

यह सिफ़ारिश करने से पहले आयोग ने इस मामले की ऐतिहासिक तथा संवैधानिक समीक्षा की थी। उसने यह नोट किया कि 1927 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने हर 12 सरकारी पदों में से 5 को ग़ैर-ब्रह्मण हिन्दुओं, 2 को हिन्दुओं, 2 को ईसाईयों, 2 को मुसलमानों तथा 1 को अन्य के लिए आरक्षित किया था। बाम्बे प्रेसीडेंसी में ब्रह्मणों, मारवाड़ियों, बिनयों, पार्सियों को छोड़ कर सबके लिए सीटें आरक्षित थीं। बड़ौदा, कोल्हापुर, ट्रावंकोर वग़ैरह में भी इन्ही दो माडलों के अनुरूप क़ानून बनाए गए थे।

जिस्टिस मिश्रा आयोग ने इस पर भी ध्यान दिया कि संविधान की धारा 14,15 व 16 में समानता का अधिकार, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही और सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए गए हैं। साथ ही नागरिकों के पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। संविधान की धारा 46 में सरकार का कर्तव्य बताया गया है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एंव आर्थिक हितों की अनदेखी तथा शोषण न होने दे और इसके लिए निगरानी की व्यवस्था करे। इन धाराओं के अनुसार सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण सन्स्थाओं में दाख़िलों में (१) केरल में मुसलमानों को 10 प्रतिशत तथा (२) ईसाई को 2 प्रतिशत और (३) कर्नाटक में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है।

महाराजा जिवाजी राव सिन्धिया बहादुर माधव राव बनाम भारत सरकार (1971) मुक्कदमें में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 1950 के अध्यादेश का पैरा 3 एक लानत (Anathema) है जिसने भारत के लिखित संविधान की ख़ूबसूरती को दाग़दार कर दिया है। केशव आनन्द भारती के मशहूर मुक्कदमें में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को पैरा 3 शामिल करने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह पैराग्राफ़ धारा 15(2), 19(2) तथा 29(2) का उल्लंघन करता है और इससे संविधान के बुनियादी ढांचे पर चोट लगती है। धारा 341 के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वह किसी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कोई धर्म अपनाने से हतोत्साहित करें। किन्तु पैरा 3 के द्वारा राष्ट्रपति जनता को विशेषकर अनुसूचित जातियों को निर्देश दे रहे हैं कि वे तीन समर्थित धर्मों की त्रिमूर्ति (हिन्दू, सिख, बौद्ध) के अतिरिक्त कोई धर्म न अपनाएं। धारा 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को जाति की पहचान करने का अधिकार दिया गया है न कि धर्म की पहचान करने का। अतः 1950 का आदेश "आदेश के रूप में अनुचित पक्षपात पर आधारित क़ानून है।"

यह बात भी ज़हन में रखने की है कि संविधान की धारा 25 के अन्तर्गत उसकी व्याख्या का उपयोग सिख, जैन, बौद्ध तथा हिन्दुओं को एक विशेष वर्ग मानने के लिए नहीं किया जा सकता, [सिवाय 25(2) के अन्तर्गत निजी धार्मिक क़ानूनों की एकरूपता के]। अतः 1950 के अादेश ने धारा 25 की संलग्न व्याख्या का ग़लत अर्थ निकाला है। साथ ही इन्द्रा साहनी बनाम केन्द्र सरकार मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 1950 के अादेश के पैरा 3 को निरस्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जाति का सम्बंध किसी धर्म विशेष से नहीं है बल्कि भारतीय समाज में उसका फैलाव सभी धर्मों को अपने दायरे में लिए हुए है। 1950 के अादेश के द्वारा मुसलमानों को आरक्षित सीटों से वंचित कर दिया गया है। लेकिन ओ.बी.सी में वही मुसलमान जातियां शामिल हैं। इस विरोधाभास की वजह से मिश्रा आयोग ने कहा कि 1950 का अादेश निचले स्तर के मुसलमानों (नाई, धोबी, चमार, मेहतर आदि) के विरुद्ध 'शत्रुतापूर्ण भेदभाव' पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस्लाम व ईसाइयत की तरह सिख व बौद्ध धर्म भी जाति को मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने सिख व बौद्ध धर्म का पक्ष लिया और इस्लाम व ईसाइयत के प्रति दुराग्रह व्यक्त किया। यह साफ़ तौर से तर्कविहीन, अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यवहार है।

इसलिए जिस्टिस मिश्रा आयोग ने सिफ़ारिश की कि 1950 के अध्यादेश में से पैरा 3 को निकाल दिया जाए। उसने यह भी सिफ़ारिश की कि मुसलमानों व ईसाइयों में उन सभी वर्गों व समूहों को जिनके स्तर के हिन्दू, सिख व बौद्ध समुदाय से सम्बंन्धित वर्ग केन्द्रीय व प्रान्तीय अनुसूचित जाति की सूचियों में शामिल हैं, उन्हें भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए। जिस्टिस सच्चर किमटी ने भी कहा कि मुसलमानों को जाति का आरक्षण मिलना चाहिए। किमटी ने सिखों व बौद्धों को अनुसूचित जाति का कोटा दिए जाने पर भी सवाल उठाए जबिक मुसलमानों व ईसाइयों को इससे बाहर रखा गया है। मिश्रा किमीशन और सच्चर किमटी की रिपोर्टें अब से 7-8वर्ष पहले 2006-7 में प्रस्तु हुई थीं लेकिन इस लम्बी अविध में भी इन रिपोर्टों का देश में कोई वास्तविक या टिकाऊ

इतना मज़बूत मामला है 1950 के अादेश में से पैरा 3 को निकालने का। इसके साथ जोड़ कर देखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसद में दिए गए बयान को जिस में उन्हों ने अन्य सब की अपेक्षा मुसलमानों की दयनीय स्थिति को खुल कर स्वीकार किया। उन्हों कहा कि मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष स्कीमें चलनी ही चाहिएं। इसे वह मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं मानते हैं बल्कि उन्हें वह राष्ट्रीय सामाजिक दायित्व के

विरोध नहीं हुआ।

रुप में देखते हैं। अतः सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थावर चन्द गहलोत को चाहिए कि वह इस गम्भीर मुद्दे पर पुनर्विचार करें और अपना दृष्टिकोण बदलें ताकि उनका मत उनके नेता की अभिशस्ति के विपरीत न लगे और वह स्वंय राष्ट्रीयसामाजिक विवेक वराष्ट्रीय

चेतना के अनुकूलरह सके। उन्हें चाहिए कि उस बदले हुए दृष्टिकोण के साथ वह सुप्रीम कोर्ट में अपने मंत्रालय की ओर से जवाबी हलफ़नामा दाख़िल कराएं। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री स्वंय भी उन्हें निर्देश देकर अपने महत्वाकांक्षी नैतृत्व के आह्वान को पूरा करेंगे कि 125 करोड़ भारतवासियों में सब के लिए वह बराबर से चिन्तित हैं।